प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 20.01.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय इटावा द्वारा हत्या करने वाले कुल 07 अभियुक्तों को आजावीन कारावास की सजा एव 25,000 - 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं 07 अभियुक्तों मे से 02 अभियुक्तों को अतिरिक्त 15,000 - 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना बसरेहर, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा कुल 07 अभियुक्तों को आजावीन कारावास की सजा एव 25,000 - 25,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित करते हुये 07 अभियुक्तों मे से 02 अभियुक्तों को अतिरिक्त 15,000 - 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 11.01.2015 को वादी अर्जुन सिंह पुत्र भीखम सिंह निवासी नगला धोबा ग्राम किल्ली सुल्तानपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि 07 नामजद अभियुक्तगणों द्वारा वादी के भाई पर एक राय होकर जान से मारने की नियत से फायर किया गया जिससे पीजीआई सैफई में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी जिससे आस-पास में दहशत का माहौल बन गया । सूचना पर तत्काल **थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 09/2015 धारा 147/148/149/504/302 भादवि व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया ।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी थानाध्यक्ष बसरेहर श्री जसवीर सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्तों को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बसरेहर पुलिस टीम, पैरोकार का0 सन्दीप यादव एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री निखिल अग्रवाल द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 20.01.2025 को अन्तर्गत धारा **147/148/149/504/302 भादवि व 7 सीएलए एक्ट** में मा0 न्यायालय ADJ - 8 इटावा द्वारा **कुल 07 अभियुक्तों को आजावीन कारावास की सजा एव 25,000 - 25,000/- रुपये का अर्थदण्ड एवं 07 अभियुक्तों मे से 02 अभियुक्त विनोद उर्फ छोटे एवं राजेश उर्फ बड़े को अन्तर्गत धारा 25/27 आर्म्स एक्ट मे अतिरिक्त 15,000 - 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. विनोद उर्फ छोटे पुत्र भारत सिंह निवासी दुर्गापुरा थाना बसरेहर जनपद इटावा
2. राजेश उर्फ बड़े पुत्र भारत सिंह निवासी दुर्गापुरा थाना बसरेहर जनपद इटावा
3. अमन उर्फ गट्टे पुत्र करता किशन निवासी दुर्गापुरा थाना बसरेहर जनपद इटावा
4. विजय उर्फ शेरू पुत्र करता किशन निवासी दुर्गापुरा थाना बसरेहर जनपद इटावा
5. गुरूदेव पुत्र सुघर सिंह निवासी दुर्गापुरा थाना बसरेहर जनपद इटावा
6. पप्पू उर्फ शकील पुत्र सुलेमान निवासी सुलतानपुरा थाना बसरेहर जनपद इटावा
7. करता किशन पुत्र भारत सिंह निवासी दुर्गापुरा थाना बसरेहर जनपद इटावा